भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1042
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

शहरी रोजगार गारंटी योजना

1042. **श्री डी.के. सुरेश:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार का शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उक्त राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर के सभी सांविधिक शहरों में शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सामाजिक असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु "दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके विभिन्न घटकों कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटीपी), स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा भी इसी तरह की योजनाएं कार्यान्वित की

गई हैं। वर्त्तमान में, सरकार द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ): राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहरी रोजगार गारंटी योजना त्रिपुरा (त्रिपुरा शहरी रोजगार कार्यक्रम, 2009 से), केरल (अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना, 2010 से) पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना, 2010 से), ओडिशा (मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान अप्रैल, 2020 से), हिमाचल प्रदेश (मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना मई, 2020 से), झारखंड (मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, अगस्त, 2020 से) और राजस्थान (इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना {आईआरजीवाई-यू} सितंबर, 2022 से) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड और केरल की राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, संबंधित योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए निधियों का आवंटन और व्यय अनुलग्नक-I में दिया गया है।

भारत सरकार इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान नहीं कर रही है।

******

दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-।

विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	योजना	आवंटन (करोड़ रुपये में)				व्यय (करोड़ रुपये में)			
			20-21	21-22	22-23	23-24	20-21	21-22	22-23	23-24
1.	हिमाचल प्रदेश	मुख्यमंत्री मंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई)	--	04	07	05	--	04	07	3.26
2.	त्रिपुरा	त्रिपुरा शहरी रोजगार कार्यक्रम (टीईयूपी)	50	70	100	--	50	70	100	--
3.	राजस्थान	इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना (आईआरजीवाई-यू)	--	--	800 (रिकॉर्ड 300)	400 (रिकॉर्ड 300)	--	--	200.31	270
4.	झारखंड	मुख्यमंत्री मंत्री श्रमिक योजना (एमएसवाई)	10	0.38	0.19	--	10	0.38	0.19	--
5.	केरल	अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना	105.21 (संवितरित 105.21)	100 (संवितरित 99.00)	125 (संवितरित 88.99)	150 (संवितरित 90.04)	90.52	113.34*	113.93*	78.71

*शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य के बजट में आवंटित राशि से अधिक अतिरिक्त भुगतान करने के लिए अपने स्वयं के राजस्व का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन और व्यय के बीच अंतर हुआ।

***